2897
25/01/2020

उत्तर प्रदेश शासन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1
संख्या-161/छिहत्तर-1-2020-2स्वजल/2011
लखनऊः दिनाँक 22 जनवरी, 2020

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित 'जल जीवन मिशन' हेतु जारी दिशा-निर्देश के अनुसार प्रदेश में ग्रामीण पाइप पेयजल कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु मिशन निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के सहयोग हेतु उनकी अध्यक्षता में एतद्द्वारा निम्नवत 'कार्यकारणी समिति' का गठन किया जाता है:-

1	मिशन निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन।	अध्यक्ष
2	इजीनियर-इन-चीफ/मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति।	सदस्य
3	प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
4	आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
5	निदेशक, पंचायतीराज विभाग अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
6	महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
7	निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव वित्त द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
9	निम्न क्षेत्रों से अधिकतम तीन विशेषज्ञ, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा - जल, ग्राम्य विकास, पब्लिक/सामुदायिक स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्था	सदस्य

2- 'जल जीवन मिशन' के कियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार उपरोक्तानुसार गठित कार्यकारणी समिति के कार्य एवं दायित्व निम्नानुसार होंगे :-

(1) जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के गठन में सहयोग, आवश्यक क्षमता संवर्धन, कार्यकलापों का अनुश्रवण, विभिन्न डी0डब्ल्यू0एस0एम0 से समन्वय करना, सूचना एकत्र करना तथा वार्षिक कार्य योजनाओं (AAP) को अंतिम रूप देना।

(2) पेयजल योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण।

(3) एकल नोडल खाता तथा पी.एफ.एम.एस. के कियान्वयन सम्बन्धी अनुमोदन।

(4) जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के साथ विभिन्न प्रकार की योजनाओं का डिजाइन तैयार करना और साझा करना।

(5) यथासंभव नई तकनीकी/ नई पद्धति को प्रोत्साहित करना।

(6) इवेल्यूवेशन स्टडीज, इम्पैक्ट एसेसमेन्ट स्टडी, आर0एण्ड0डी0 गतिविधियां करना।

(7) 'जल जीवन मिशन' की भौतिक और वित्तीय प्रगति को आई0एम0आई0एस0 पर नियमित अपडेट किये जाने का अनुश्रवण।

(8) केंद्रीकृत निविदा के माध्यम से प्रतिष्ठित निर्माण एजेंसियों/ विक्रेताओं का इम्पैनलमेन्ट तथा रेट कान्ट्रैक्ट के सम्बन्ध मे निर्णय लेना।

(9) स्वयं सेवी संस्था/स्वैच्छिक संस्था/स्वयं सहायता समूह का इम्पैनलमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी (I.S.A.) के रूप में इम्पैनल करना।

(10) थर्ड पार्टी निरीक्षण हेतु एजेन्सी इम्पैनल करना।

FC/FA/UC(ID)/ UC(U)/ STPC/ Dir. WSSO
.01.2020

(11) सूचना, शिक्षा और संचार (IEC)/व्यवहार परिवर्तन संचार (BCC) रणनीति को अंतिम रूप देना। मात्राकृत सपोर्ट फण्ड का आई.ई.सी. गतिविधियों पर प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना।

(12) मिशन के विभिन्न स्तरो के कर्मियों हेतु क्षमता संवर्धन कार्य योजना तैयार कर क्रियान्वित कराना, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी), आई.ई.सी. सामग्री का उपयोग, आदि की व्यवस्था करना।

(13) भारत सरकार को ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.), ऑडिटेड स्टेटमेन्ट ऑफ एकाउन्ट (ए.एस.ए), आदि का प्रेषण।

(14) आई.एम.आई.एस पर रिपोर्ट, सफलता की कहानियाँ साझा करना तथा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसार करना।

(15) केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाये जाने वाले अभियानों को राज्य में कियान्वित कराना।

(16) अच्छे प्रदर्शन वाले जिलो, ग्राम पंचायतो उप–समिति, अर्थात V.W.S.C./PAANI समिति / उपयोगकर्ता समूह का चिन्हीकरण करते हुए प्रोत्साहित करने हेतु नीति तैयार करना।

(17) जी.आई.एस. प्लेटफॉर्म पर जे.जे.एम. परिसंपत्तियों की डिजिटल इन्वेंट्री तैयार करना।

(18) जल जीवन मिशन को प्रारम्भ किए जाने हेतु राज्य–विशिष्ट नारे पर निर्णय तथा ग्राम/क्षेत्र में घरों की संख्या के आधार पर दीवार लेखन हेतु स्थान चयन के सम्बन्ध में निर्णय लेना।

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव

संख्या 161 (1)/छिहत्तर–1–2020–2स्वजल/2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषितः–

(1) प्रधान निजी सचिव, मा0 जल शक्ति मंत्री जी उत्तर प्रदेश।
(2) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) सचिव, पेयजल एव स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(4) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव वित्त/नियोजन/ पंचायतीराज/बेसिक शिक्षा विभाग/स्वास्थ्य विभाग/सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) आयुक्त, ग्राम्य विकास, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(7) निदेशक, पंचायती राज, लोहिया भवन, अलीगंज, लखनऊ
(8) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(9) निदेशक, बेसिक शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, निशातगंज, लखनऊ।
(10) समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
(11) प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
(12) अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
(13) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव

Scanned with OKEN Scanner